मिसल नम्बर 103/2019
निर्णय दिनांक 27-09-2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :- **103/2019**

सरकार

बनाम

1. रामनिवास
2. विरेन्द्र पुत्रान मालाराम जाति गूर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी।

....................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- **27-09-2019**

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायलान स्वयं उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का त्यौन्दा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 1.24 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.20 हेक्टेयर पर गैर सायलान ने चार दिवारी बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायलान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमियों के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायलान ने जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया है कि ग्राम अशोक नगर स्थित भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 1.24 हेक्टेयर गैर मुमकीन पहाड़ में से 0.20 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का नाजायज कब्जा होना बताया है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नहीं कर रखा है बल्कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर उसके पूर्वजो के समय से यानि 50 वर्षो कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को काफी मेहनत व खर्चे से काबिले रहने योग्य बनाया है। प्रार्थी परिवार काफी बड़ा है तथा प्रार्थी के पास जमीन की कमी है।

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध चल रही धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को ड्रॉप की जाकर प्रार्थी के हक में नियमन की सिफारिश किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

मिसल नम्बर 103 / 2019
निर्णय दिनांक 27-09-2019

गैर सायलान को सुना गया। गैर सायलान ने प्रश्नगत भूमि की गैर सायलान के पक्ष में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया।

गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का त्यौन्दा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायलान ने राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 1.24 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.20 हेक्टेयर पर चार दिवारी बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। नियमों एवं अधिनियमों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वर्तमान में राजकीय भूमि पर छोटे टुकड़ों में किये गये अतिक्रमणों को नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकीन पहाड़ है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत जिला कलेक्टर को माननीय उच्च न्यायालयों से प्रतिबन्धित भूमि को छोड़कर समस्त राजकीय अनाधिवासित भूमि के आवंटन किये जाने के अधिकार प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकीन पहाड़ है जिसका निजी प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। गैर सायलान को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का त्यौन्दा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-: आदेश :-

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का त्यौन्दा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायलान को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 1.24 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड के रकबा 0.20 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायलान से शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **त्यौन्दा** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायलान की राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 1.24 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.20 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-09-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner